

कम्प्यूटर आई.डी-2021/161  
FROM No. III

APP-A  
crim-1

फर्द अहकाम

पञ्जाब न्यायाधीश,  
दिल्ली

(नियम 26)

राज्य न्यायिक न्यायाधीश  
पञ्जाब न्यायाधीश

अज अदालत.....

मुकाम.....

केस नं० 100

.....नाम.....

पद्मसिंह

राजवीर

किस्म मुकदमा.....

नं०.....

04

सन्.....

2021

225

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/7/21	<p>पञ्जाब न्यायाधीश पेश हुयी वकील अपीलान्त से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बन्द्य करते हुए कि प्रस्तुत किट कि अधीन माफा के स्वयं अपील। लगभग 5 व अस्थाई नं० 2 लगभग 28 के विरुद्ध अस्थाई नं०। के एक वाद वाले विवादात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुए एवं उसके साथ आ. पत्र 212 आरपीएच का पेश कर अपील एवं अस्थाई नं० 2 लगभग 28 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा ली। अन्तर्गत अपील विवादित आराजी श. नं० 708 में 2/255 भाग का आवेदन कार्रवार है। उक्त आराजी अपील के अन्तर्गत बयाना रूप की ही वस्तु बयाना से अपीलान्त विवादित आराजी पर कार्रवार कार्रवार है। अपीलान्त आदेश पारित करने से ही अपील को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपीलान्त आदेश की क्रियावति स्थायी रखने एवं अपीलान्त के दिवसे की मूक्ति पर परबल व फलन करने से नहीं संकेत के आदेश पारित करने का निर्देश किया।</p>	<p>अज्ञात</p>

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुकम

हमने पत्रावली का जवाब देना किताब में  
बदल कर अपीलाना पर मगन किया।  
अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश  
हैं। विधि अनुसार अन्तरिम आदेश  
को अपील नहीं करीं करनी। ऐसे  
आदेश के विरुद्ध रिबीजन से अनुत्तर  
जात्र किया जा सकता है। अपीलाना  
के पास समुचित अवसर था कि  
वह अपीलाना आदेश के विरुद्ध  
अधीनस्थ माफा. के अपने आपकी  
दर्ज करवाते। उक्त समय का उपयोग  
करते बिना अपील में जाना उचित  
नहीं है।

उक्त: आदेश है कि अपील अपीलाना  
ग्राह्यता स्तर पर ही रजिस्ट्रेशन की  
जाती है। परन्तु पत्राचार माफा. के  
अनुमति से वंचित था है इसलिए  
हम उन्हें अधीनस्थ माफा. के  
निर्दिष्ट करना उचित समझते हैं  
कि वह अपने समस्त विद्यार्थी  
उत्तरण अनर्गल धारा 212 भारतीय  
पर अध्यापन के साक्षर व सुनवाई का  
अवसर से इसे विधि अनुसार ~~अधीनस्थ~~  
अधीनस्थ एक माफा. में निस्तारित  
करें।

पत्रावली प्रेषण शुमार की जाकर ~~पत्र~~  
से ऊपर की जाते, बाद जात्रा शरिफा  
रफतार हो बिनाप खुले हुजलास  
सुनाया गया।

14/07/2021  
हुकम कार्यवाही,  
रदन  
संयोजक अधिकारी